न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
38/2017	27.02.2017	12.02.2020

उनवान

1. श्रीकृष्ण कुमार पुत्र शिवजी उम्र करीब 61 साल जाति जाट नि0 नंगली औझा तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0

–: वादी

बनाम

1. मातादीन पुत्र छीतर
2. जीतराम पुत्र छीतर
3. बलबीर पुत्र रामकिशोर पौत्र छीतर
4. सुरजी पत्नी रामकिशोर पुत्रवधु छीतर
5. बिमला पत्नी जलेसिंह प्रपोत्र वधु छीतर
6. कमल पुत्र जलेसिंह प्रपोत्र छीतर
7. रतिराम पुत्र चिरंजी पौत्र छीतर
8. भगवानी पत्नी चिरंजी पुत्रवधु छीतर
9. पूजा पुत्री होशियार प्रपोत्री छीतर
10. प्रिया पुत्री होश्यिार प्रपोत्री छीतर
11. दीपक पुत्र होशियार प्रपोत्र छीतर
12. विजेशदेवी पत्नी होशियार प्रपोत्रवधु छीतर
13. राजपाल पुत्र हरिसिंह पौत्र छीतर
14. सुमन पुत्री हरिसिंह पौत्री छीतर
15. मनीषा उर्फ गुड्डी पुत्री हरिसिंह पौत्री छीतर
16. धूंधी पत्नी हरिसिंह पुत्रवधु छीतर
17. धर्मपाल पुत्र हरिसिंह पौत्र छीतर जातियान जाट समस्त, निवासीयान समस्त नंगली औझा तह0 मुण्डावर
18. धनकोर पुत्री छीतर पत्नी नत्थुराम जाती जाट निवासी सुठानी तह0 बावल जिला रेवाडी, हरि0
19. कृष्णा पुत्री चिरंजी पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी हरसोली तह0 कोटकासिम जिला अलवर
20. सन्तोष पुत्री हरिसिंह पत्नी चरणसिंह जाति जाट निवासी हाल जाटका तह0 कोटकासिम जिला अलवर
21. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0
22. उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0

–: प्रतिवादीगण

दावा:– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी

....

–: निर्णय :–

दिनांक :– 12.02.2020

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with CamScanner

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आ0ख0न0 55/1 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम नंगली ओझा तहसील मुण्डावर में स्थित होकर वादी खातेदार काश्तकार दर्ज है जो साबिक ख0न0 72 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा से पैमूद हुई है जो मिन वादी के पूर्वजों के रिकॉर्डेड बंटवारे में आया हुआ है जिस पर मिन वादी व पूर्वज वक्त बहामी व बंटवारे से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 01 ल0 20 व उनके पूर्वज गैरवास्ता व गैरकाबिज रहे है जिनका किसी भी प्रकार से आराजी से कोई लेना–देना नहीं है ना ही कभी रहा लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के पूर्वज छीतर पुत्र मोहकम के नाम का अंकन शिकमी दर्ज किया हुआ है जिसे मिनवादी हजफ कराने का अधिकारी है। मिनवादी ने अपना रिकॉर्डेड बंटवारा दिनांक 18.09.2015 को कराया तब उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई जिस पर राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त कर प्रतिवादीगण से रिकॉर्ड दुरूस्त कराने बाबत कहा तो आजकल–आजकल करते रहे और अब दिनांक 20.02.2017 को दुरूस्त कराने से साफ मना कर दिया तथा ऐलानिया धमकी दी की हमारे पूर्वज का नाम शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज है तुम्हे आराजी से बेदखल कर कब्जा कर लेंगे काश्त नहीं करने देंगे। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अंदर अवधि पेश हैं। यदि वाकई में प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो गये तथा वादी को बेदखल कर कब्जा कर लिया तो मिनवादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी इसलिए मिनवादी अपने अधिकारों की रक्षार्थ हु0ई0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है आदि का निवेदन करते हुए वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जाकर विवादित आराजी के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 20 के पूर्वज छीतर पुत्र मोहकम के नाम का शिकमी के अंकन को हजफ किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावे तथा डिक्री हु0ई0 दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो वर्णित आराजीयात को कहीं रहन, बैय इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही शिकमी के आधार पर कोई कार्यवाही करे, ना ही मिनवादी के कुल काश्तकार्य में मजाहमत ही पैदा करे आदि का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादीगण संख्या 01 ल0 20 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना इकबाल जवाब दावा पेश किया। मुताबिक इकबाल जवाब दावा वादी के वाद के जिमनों को स्वीकारते हुये वादी का वाद चाही गई रिलीफ के अनुसार डिक्री फर्मा दिया जावे हमें कोई ऐतराज नहीं है का अंकन कर पेश है एवं पैरोकार सरकार द्वारा बार–बार अवसर उपरांत जवाब सरकार पेश नहीं किये जाने के स्थिति में जवाब पेश किये जाने का अवसर समाप्त किया गया।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 किता 2 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2028–31 किता 4 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सैटलमेन्ट 2029 प्रदर्श–3, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2020–23 प्रदर्श–4, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2024–27 प्रदर्श–5, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2028–31 प्रदर्श–6, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2032–35 किता 3 प्रदर्श–7 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र श्रीकृष्ण कुमार पी. डब्ल्यू.–1, जयसिंह पी. डब्ल्यू.–2, किशोरी लाल पी. डब्ल्यू.–3 एवं बअनुवान जीतराम बनाम छनकौर दावा संख्या 153/17 निर्णय दिनांक 04.09.2018 की प्रमाणित प्रति सहित पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with CamScanner

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत की। मुताबिक लिखित बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुये अभी कथन किया कि विवादित आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 ल0 20 व उनके पूर्वज गैरवास्ता व गैरकाबिज रहे है जिनका बंटवारा के बाद से विवादित आराजी से कोई लेना–देना व संबंध, सरोकार नहीं रहा लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून प्रतिवादीगण के पूर्वज छीतर पुत्र मोहकम का नाम शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज कर दिया जबकि वह कभी भी अपने जीवनकाल में आराजी पर काबिज नहीं रहा ना ही वे आज काबिज है, मात्र राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी काश्तकार दर्ज हो रहा है। प्रस्तुत लिखित दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किता 3 शपथ–पत्रों का वर्णन करते हुये प्रतिवादीगण संख्या 01 ल0 20 द्वारा प्रस्तुत इकबाल जिसके मुताबिक वादी का वाद चाही गये रिलीफ अनुसार डिक्री फरमा दिया जावे हमें कोई ऐतराज नहीं है कथन करते हुये दावा संख्या 153/17 जीतराम बनाम छनकौर निर्णय दिनांक 04.09.2018 के बाबत भी ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त शिकमी के अंकन को हजफ कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर वादी के वाद को डिक्री किया जाकर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे का निवेदन रहा।

वकील वादी की एक पक्षीय प्रस्तुत लिखित बहस के ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं वादपत्र व वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन उपरांत वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी खसरा नंबर 55/1 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) के बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 ल0 20 के पूर्वज छीतर पुत्र मोहकम के नाम का हो रहा शिकमी के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 12.02.2020 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायानलय सुनाया गया।

Sd/- 12/02/20

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned with CamScanner

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
38/2017	27.02.2017	12.02.2020

उनवान

1. श्रीकृष्ण कुमार पुत्र शिवजी उम्र करीब 61 साल जाति जाट नि0 नंगली औझा तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0

–: वादी

बनाम

1. मातादीन पुत्र छीतर
2. जीतराम पुत्र छीतर
3. बलबीर पुत्र रामकिशोर पौत्र छीतर
4. सुरजी पत्नी रामकिशोर पुत्रवधु छीतर
5. बिमला पत्नी जलेसिंह प्रपोत्र वधु छीतर
6. कमल पुत्र जलेसिंह प्रपोत्र छीतर
7. रतिराम पुत्र चिरंजी पौत्र छीतर
8. भगवानी पत्नी चिरंजी पुत्रवधु छीतर
9. पूजा पुत्री होशियार प्रपोत्री छीतर
10. प्रिया पुत्री होशियार प्रपोत्री छीतर
11. दीपक पुत्र होशियार प्रपोत्र छीतर
12. विजेशदेवी पत्नी होशियार प्रपोत्रवधु छीतर
13. राजपाल पुत्र हरिसिंह पौत्र छीतर
14. सुमन पुत्री हरिसिंह पौत्री छीतर
15. मनीषा उर्फ गुड्डी पुत्री हरिसिंह पौत्री छीतर
16. धूंधी पत्नी हरिसिंह पुत्रवधु छीतर
17. धर्मपाल पुत्र हरिसिंह पौत्र छीतर जातियान जाट समस्त, निवासीयान समस्त नंगली औझा तह0 मुण्डावर
18. धनकोर पुत्री छीतर पत्नी नत्थुराम जाती जाट निवासी सुठानी तह0 बावल जिला रेवाडी, हरि0
19. कृष्णा पुत्री चिरंजी पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी हरसोली तह0 कोटकासिम जिला अलवर
20. सन्तोष पुत्री हरिसिंह पत्नी चरणसिंह जाति जाट निवासी हाल जाटका तह0 कोटकासिम जिला अलवर
21. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0
22. उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0

–: प्रतिवादीगण

दावा:– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री अशोक चौधरी एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की ओर से **अनुउपस्थिति** में इस वाद में **आज दिनांक 12.02.2020** को **श्रीमति सुनिता यादव, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:–**

" न्यायालय दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः हाल आराजी खसरा नंबर 55/1 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) के बाबत

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with CamScanner

के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 ल0 20 के पूर्वज छीतर पुत्र मोहकम के नाम का हो रहा शिकमी के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। वाद शीर्षक निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अग रहेगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

12/02/20

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राज0

Scanned with CamScanner